



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 958]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 28, 2017/अग्रहायण 7, 1939

No. 958]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 28, 2017/AGRAHAYANA 7, 1939

पोत परिवहन मंत्रालय

(पीएचआरडी डिवीजन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2017

**सा.का.नि. 1453(अ).**—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार में पोत परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. 453(अ), दिनांक 26 अप्रैल, 2016, में आंशिक संशोधन करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा श्री सतिंदर पाल सिंह, संयुक्त सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय को दीनदयाल पत्तन न्यास (पूर्व कंडला पत्तन न्यास) के न्यासी बोर्ड में श्री रजत सच्चर, सलाहकार (आर्थिक), पोत परिवहन मंत्रालय के स्थान पर 31.03.2018 तक की अवधि के लिए न्यासी के रूप में नियुक्त करती है।

2. उक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. एलबी-11013/4/2017-एल]

कोनथांग तोउथांग, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF SHIPPING**

(PHRD DIVISION)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th November, 2017

**G.S.R. 1453(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in partial modification of the Notification of the Government of India, Ministry of Shipping's G.S.R. 453(E), dated the 26<sup>th</sup> April, 2016, the Central Government hereby appoints Shri Satinder Pal Singh, Joint Secretary, Ministry of Shipping to be a trustee on the Board of Trustees of the Deendayal Port Trust (erstwhile Kandla Port Trust) for the period up to 31.03.2018 in place of Shri Rajat Sachar, Advisor (Eco), Ministry of Shipping.

2. The said appointment shall come into force with immediate effect.

[F. No. LB-11013/4/2017-L]

KONTHANG TOUTHANG, Jt. Secy.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2017

**सा.का.नि. 1454(अ).**—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार में पोत परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. 190(अ), दिनांक 03 मार्च, 2017 और सा.का.नि. 522(अ), दिनांक 16 मई, 2016 में आंशिक संशोधन करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा श्री एम. एम. हसीजा, सलाहकार, पोत परिवहन मंत्रालय को मुम्बई पत्तन न्यास और कोलकाता पत्तन न्यास के न्यासी बोर्डों में श्री बरुण मित्रा, तत्कालीन संयुक्त सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय तथा डॉ. आलोक श्रीवास्तव, तत्कालीन अपर सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय के स्थान पर 31.03.2018 तक की अवधि के लिए न्यासी के रूप में नियुक्त करती है।

2. उक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. एलबी-11013/4/2017-एल]

कोनथांग तोउथांग, संयुक्त सचिव

### NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2017

**G.S.R. 1454(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in partial modifications of the Notifications of the Government of India, Ministry of Shipping's G.S.R. 190 (E), dated the 3<sup>rd</sup> March, 2017 and G.S.R. 522(E), dated the 16<sup>th</sup> May, 2016, the Central Government hereby appoints Shri M.M. Hasija, Advisor, Ministry of Shipping to be trustee on the Boards of Trustees of the Mumbai Port Trust and Kolkata Port Trust for the period up to 31.03.2018 in place of Shri Barun Mitra, the then Joint Secretary and Dr. Alok Srivastava, the then Additional Secretary, Ministry of Shipping.

2. The said appointments shall come into force with immediate effect.

[F. No. LB-11013/4/2017-L]

KONTHANG TOUTHANG, Jt. Secy.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2017

**सा.का.नि. 1455(अ).**—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार में पोत परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. 440(अ) दिनांक 05 मई, 2017 में आंशिक संशोधन करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा श्री आर. के. अग्रवाल, संयुक्त सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय को जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में श्री बरुण मित्रा, तत्कालीन संयुक्त सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय के स्थान पर 31.03.2019 तक की अवधि के लिए न्यासी के रूप में नियुक्त करती है।

2. उक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. एलबी-11013/4/2017-एल]

कोनथांग तोउथांग, संयुक्त सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th November, 2017

**G.S.R. 1455(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in partial modification of the Notification of the Government of India, Ministry of Shipping's G.S.R. 440(E), dated the 5<sup>th</sup> May, 2017, the Central Government hereby appoints Shri R.K. Agarwal, Joint Secretary, Ministry of Shipping to be a trustee on the Board of Trustees of the Jawaharlal Nehru Port Trust for the period up to 31.03.2019 in place of Shri Barun Mitra, the then Joint Secretary, Ministry of Shipping.

2. The said appointment shall come into force with immediate effect.

[F. No. LB-11013/4/2017-L]

KONTHANG TOUTHANG, Jt. Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2017

**सा.का.नि. 1456(अ).**—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार में पोत परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. 342(अ) दिनांक 11 अप्रैल, 2017 में आंशिक संशोधन करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा सुश्री शिप्रा शर्मा, निदेशक, पोत परिवहन मंत्रालय को न्यू मंगलोर पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में श्री पी. के. रॉय, तत्कालीन उप-सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय के स्थान पर 31.03.2019 तक की अवधि के लिए न्यासी के रूप में नियुक्त करती है।

2. उक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. एलबी-11013/4/2017-एल]

कोन्थांग तोउथांग, संयुक्त सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th November, 2017

**G.S.R. 1456(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in partial modification of the Notification of the Government of India, Ministry of Shipping's G.S.R. 342(E), dated the 11<sup>th</sup> April, 2017, the Central Government hereby appoints Ms. Shipra Sharma, Director, Ministry of Shipping to be a trustee on the Board of Trustees of the New Mangalore Port Trust for the period up to 31.03.2019 in place of Shri P.K. Roy, the then Deputy Secretary, Ministry of Shipping.

2. The said appointment shall come into force with immediate effect.

[F. No. LB-11013/4/2017-L]

KONTHANG TOUTHANG, Jt. Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2017

**सा.का.नि. 1457(अ).**—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार में पोत परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. 449(अ), दिनांक 26 अप्रैल 2016 में आंशिक संशोधन करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा श्री जयसीलन टी., निदेशक, पोत परिवहन मंत्रालय को कोचीन पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में डॉ. आलोक श्रीवास्तव,

तत्कालीन अपर सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय के स्थान पर 31.03.2018 तक की अवधि के लिए न्यासी के रूप में नियुक्त करती है।

2. उक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी ।

[फा. सं. एलबी-11013/4/2017-एल]

कोनथांग तोउथांग, संयुक्त सचिव

### NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2017

**G.S.R. 1457(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in partial modification of the Notification of the Government of India, Ministry of Shipping's G.S.R. 449(E), dated the 26<sup>th</sup> April, 2016, the Central Government hereby appoints Shri Jayaseelan T., Director, Ministry of Shipping to be a trustee on the Board of Trustees of the Cochin Port Trust for the period up to 31.03.2018 in place of Dr. Alok Srivastava, the then Additional Secretary, Ministry of Shipping.

2. The said appointment shall come into force with immediate effect.

[F. No. LB-11013/4/2017-L]

KONTHANG TOUTHANG, Jt. Secy.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2017

**सा.का.नि. 1458(अ).**—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार में पोत परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. 450(अ), दिनांक 26 अप्रैल, 2016 में आंशिक संशोधन करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा श्री रजत सच्चर, सलाहकार (आर्थिक), पोत परिवहन मंत्रालय को विशाखापट्टणम पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में श्री एम. एम. हसीजा, सलाहकार, पोत परिवहन मंत्रालय के स्थान पर 31.03.2018 तक की अवधि के लिए न्यासी के रूप में नियुक्त करती है।

2. उक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी ।

[फा. सं. एलबी-11013/4/2017-एल]

कोनथांग तोउथांग, संयुक्त सचिव

### NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2017

**G.S.R. 1458(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in partial modification of the Notification of the Government of India, Ministry of Shipping's G.S.R. 450(E), dated the 26<sup>th</sup> April, 2016, the Central Government hereby appoints Shri Rajat Sachar, Advisor (Eco), Ministry of Shipping to be a trustee on the Board of Trustees of the Visakhapatnam Port Trust for the period up to 31.03.2018 in place of Shri M.M. Hasija, Advisor, Ministry of Shipping.

2. The said appointment shall come into force with immediate effect.

[F. No. LB-11013/4/2017-L]

KONTHANG TOUTHANG, Jt. Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2017

**सा.का.नि. 1459(अ).**—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार में पोत परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. 613(अ) दिनांक 20 जून, 2017 में आंशिक संशोधन करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा श्री डी. के. रॉय, निदेशक, पोत परिवहन मंत्रालय को व. उ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में श्री बरुण मित्रा, तत्कालीन संयुक्त सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय के स्थान पर 31.03.2019 तक की अवधि के लिए न्यासी के रूप में नियुक्त करती है।

2. उक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. एलबी-11013/4/2017-एल]

कोनथांग तोउथांग, संयुक्त सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th November, 2017

**G.S.R. 1459(E).**— In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in partial modification of the Notification of the Government of India, Ministry of Shipping's G.S.R. 613(E), dated the 20<sup>th</sup> June, 2017, the Central Government hereby appoints Shri D. K. Rai, Director, Ministry of Shipping to be a trustee on the Board of Trustees of the V.O. Chidambaranar Port Trust for the period up to 31.03.2019 in place of Shri Barun Mitra, the then Joint Secretary, Ministry of Shipping.

2. The said appointment shall come into force with immediate effect.

[F. No. LB-11013/4/2017-L]

KONTHANG TOUTHANG, Jt. Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2017

**सा.का.नि. 1460(अ).**—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार में पोत परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. 448(अ) दिनांक 26 अप्रैल, 2016, में आंशिक संशोधन करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा श्री अरविंद चौधरी, निदेशक, पोत परिवहन मंत्रालय को पारादीप पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में श्री आर. के. अग्रवाल, संयुक्त सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय के स्थान पर 31.03.2018 तक की अवधि के लिए न्यासी के रूप में नियुक्त करती है।

2. उक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. एलबी-11013/4/2017-एल]

कोनथांग तोउथांग, संयुक्त सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th November, 2017

**G.S.R. 1460(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in partial modification of the Notification of the

---

Government of India, Ministry of Shipping's G.S.R. 448(E), dated the 26<sup>th</sup> April, 2016, the Central Government hereby appoints Shri Arvind Choudhary, Director, Ministry of Shipping to be a trustee on the Board of Trustees of the Paradip Port Trust for the period up to 31.03.2018 in place of Shri R.K. Agarwal, Joint Secretary, Ministry of Shipping.

2. The said appointment shall come into force with immediate effect.

[F. No. LB-11013/4/2017-L]

KONTHANG TOUTHANG, Jt. Secy.